न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई जिला- भरतपुर (राज०)
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना RAS

प्रकरण सं. 10/2010

किस्म मु. 88, 89, 188 RTA

निर्णय दि. 27/02/2020

(1) सुनीता
(2) गीता पुत्रियान- नत्थू जाति- जाट- मवाली कुठवारी खुर्द
(3) राजेश
(4) अंगूरी बेवा नत्थू जाति- जाट- मवाली- कुठवारी खुर्द
तहसील- नदबई जिला भरतपुर

- वादीगण

बनाम-

(1) गजराज पुत्र नत्थू जाति- जाट- मवासी कुठवारी खुर्द तहसील- नदबई जिला- भरतपुर (राज०)
(2) सोनादेवी पत्नि महाराजसिंह जाति- जाट- मवासी कुठवारी खुर्द तह. नदबई जिला- भरतपुर (राज०)

निर्णय. दावा अन्तर्गत धारा- 88, 89, 188 RTA

(1) यह है कि- उपरोक्त उनवान के दावा मे वादीगण व प्रतिवादीगण- मे से कोई भी- नाबालिग नही है-

(2) यह है कि- आराजी खा.न. 131 रकबा 0.27 है. वाके मौजा कुठवारी खुर्द मे स्थित है जो वादनीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक आराजी है जो विरासतन प्रतिवादी सं. 1 को उसके ताऊ व बाबा से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। तथा विवादित आराजी मे वादीगण सं. 1 ता. 4 प्रतिवादीगण सं. 1 का [illegible] बराबर का हक व हिस्सा निहित है लेकिन आराजी कुल नामी

खातेदारी अकेले प्रतिवादी सं.1 के नाम अंकित हो गई थी जिसका फायदा उठाकर उसने बिना वादीगण की सहमति के समस्त आराजी का बयनामा दिनांक-13-5-08 को प्रतिवादी सं.2 के हक मे तहरीर कर दिया है जो कानून बिना अधिकार के तथा शून्य वॉइड है क्योंकि- पैत्रिक आराजी को अकेले प्रतिवादी सं.1 को आराजी मुतनाजा को बय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि- पैत्रिक- आराजी मे जन्म से ही वारिसों का हिस्सा होता है इसलिए वादीगण जरिये डिक्री- उक्त बयनामा दिनांक 13-5-2008 को तथा शून्य-वॉइड घोषित कराये जाने के अधिकारी है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के साथ साथ आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम कराये जाने के अधिकारी है क्योंकि- प्रतिवादी सं. 1/5 हिस्से को विक्रय करने का अधिकार था लेकिन- उसने समस्त आराजी को विक्रय कर दिया है जो कानून के खिलाफ है- इसलिए वादीगण बयनामा दिनांक 13-5-2008 को शून्य वॉइड घोषित कराकर आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा- पाने के अधिकारी है.

7) यह कि- प्रतिवादी सं.1 ने दिनांक- वादीगण को दिनांक- 1-3-2010 को धमकी दी कि- आराजी की खातेदारी अब उसके नाम है वह- वादीगण को कब्जा नहीं करने देंगे तथा कब्जे से बेदखल कर देंगे, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण- को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी डिक्री से पाबन्द कराये जाने के अधिकारी है.

अतः प्रार्थना है कि- बयनामा दिनांक- 13-5-2008 को तथा शून्य वॉइड घोषित किया जाकर वादीगण को विवादित- आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि- वह वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल कतई न करें।

दावा दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन- तलब किये गये. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री जगवीर सिंह एड. उप. प्रति- सं.1 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी. प्रति.सं.2 द्वारा अपना जवाब दावा मे निम्नोक्त तथ्यों का कथन किया गया.

1) यह है कि- दावा की मद.सं.2 वर्णित- आराजी का खुदकाश्त पूर्व मे होना- स्वीकार है व बयनामा दिनांक- 13-5-08 को होना भी स्वीकार है.

[signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

गत है कि. प्रतिवादी सोनादेवी ने दिनांक 13-5-08 को बयनामा रजि. कराया- जिसकी प्रतिवादिनी रिकार्ड खातेदार है और मौके पर काश्त कर रही है वादिनी ने मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से वाद पेश किया है जो काबिल खारिजी के है

वादिनी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी सं.2 के अभिवचनों के आधार पर निम्नोक्त तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार से है.

तनकी सं.1 - आया वादी. बयनामा दिनांक- 13-5-08 को नल एण्ड वोइड करार पाने की अधिकारी है. भि.वादिनी-

तनकी सं.2. आया वादी प्रति. को स्थायी हुक्म इम्तनाई की डिक्री से पाबन्द करवाने की अधिकारी है - भि.वादिनी

तनकी सं.3. आया प्रति- बयनामा से खातेदार होकर काबिज होकर- काश्त कर रहे है अतः दावा काबिल खारिजी के है. भि.प्रति-2.

वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल मिसल बन्दोबस्त संवत- 2028 बाबत मौजा- कुण्डवाली खुर्द, नकल मिसल औगाण्यात संवत- 2060 बाबत मौजा कुण्डवाली खुर्द; नकल-हाल-जमाबंदी- संवत-2062-65 बाबत कुण्डवाली खुर्द प्रदर्श-1, नकल सत्यप्रतिलिपि. बयनामा- दिनांक- 13-5-08-बाबत मौजा- कुण्डवाली खुर्द -प्रदर्श-2 एवं मौखिक- बयान के रूप में. वादिनी सुमित्रा पुत्री नाथुराम- जाट-नि. कुण्डवाली खुर्द, किशन एवं गीता पुत्री नाथुराम-जाट-नि. कुण्डवाली खुर्द PW-2, आरती देवी नाथुराम-जाट-नि. कुण्डवाली खुर्द-PW-3 पेश किये गये. जिन से प्रति वकील द्वारा- जिरह नहीं की गयी-

प्रतिवादी द्वारा- अपने जवाब दावा के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में कोई भी दस्तावेज- पेश नहीं किया गया तथा मौखिक बयान के रूप में - श्रीमती सोनादेवी w/o महावीरसिंह -जाट-नि. कुण्डवाली खुर्द का शपथ पत्र की साथ. असल बयनामा- दिनांक-13-5-08- DW-1 पेश किया गया इन से वादी वकील द्वारा जिरह की गयी.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बहस- अन्तिम हेतु वादी एवं प्रतिवादी वकील को आवाज दिलाई गई वादी वकील उपस्थित हुए प्रतिवादी वकील को बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद भी प्रति से.2 के वकील उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर- बहस- अन्तिम- एक तरफा- दिनांक- 18/2/20 को सुनी गयी.

वादी/वादीनी वकील द्वारा एक तरफा बहस में कहा कि:- दावा अन्तर्गत धारा- 88,89,188 RTA का है जिसमें वादीनी विवादित- आराजी में अपने हक की घोषणा करवाना चाहता है विवादित- आराजी ख.न. 190,191 का बन्दोबस्त- संवत- 2060 के पूर्व ख.न. 112,113 थे विवादित आराजी पूर्व में महताब के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो जमाबंदी संवत- 2028 से साबित है. वर्तमान में विवादित आराजी प्रति से.2 के नाम- दर्ज रिकार्ड है. प्रति से.2 सोनादेवी ने विवादित आराजी- प्रति से.1 गजराज- से दिनांक- 13-5-06 को क्रय की है क्योंकि- उक्त आराजी- वादीनीगण व प्रतिवादी से.1 की पैतृक आराजी है. जो विरासतन- प्रति से.1 को उसके दादा- व बाबा से प्राप्त हुई है जिसमें- वादीगण व प्रतिवादी से.1 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है. लेकिन- आराजी खातेदारी अकेले प्रतिवादी के नाम- अंकन हो गयी उसका कपटपूर्ण उठाकर वादीगण की सहमति- बिना समस्त आराजी का- बयनामा दिनांक- 13-5-06 को प्रति.2 के हक में करवाया जो कि- गलत है- इसलिए- उक्त बयनामा को शून्य घोषित कर- वादीगण को विवादित- आराजी पर खातेदार- काश्तकार घोषित किया जावे.

हमने विद्वान वकील की एक तरफा बहस को सुना गया तथा- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि- वादीगण द्वारा विवादित- आराजी के पूर्व रिकार्डेड खातेदार महताब का कोई शजरा अपने दावा के समर्थन में पेश नहीं किया है जिससे वे स्वयं को महताब का उत्तराधिकारी साबित कर सकें साथ ही महताब की मृत्यु के समय का उल्लेख भी दावे में नहीं किया गया बहस में 15-20 साल पूर्व मृत्यु होना- भी बताया। महताब की मृत्यु से अब तक दावे के दायरा वर्ष-2013 तक हक का निर्धारण नहीं कराने का कारण भी- नहीं बताया है. तथा-

Scanned by CamScanner

साथ ही विवादित आराजी के विक्रेता रामराज को मतदाता से आराजी कैसे प्राप्त हुई वादी द्वारा अपने दावा व बयान मे नही बताया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर हम वादी के वाद पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः वादीनी का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है। पक्षकारान जानें।

निर्णय आज दिनांक- 27/02/2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रा० मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner